(10)

समाहरणालय, मधेपुरा।
(सामान्य शाखा)

आदेश

सरकार के प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–30 दिनांक–25/01/2016 के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में मांग संख्याँ–22 मुख्य शीर्ष–2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष–200–अन्य कार्यक्रम, उप शीर्ष–0003–स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को विशेष भत्ता के विषय शीर्ष–0401–पेंशन तथा विपत्र कोड संख्या–एन0 223602000003 के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को राज्य सरकार से सम्मान भत्ता भुगतान हेतु माह–मार्च,2015 से माह– जूलाई,2015 तक मो0–2000.00 (दो हजार) एवं माह– अगस्त,2015 से मो0– 5000.00(पॉच हजार) प्रति माह प्रति सेनानी की दर से मो0–19,80,000.00 (उन्नीस लाख अस्सी हजार) रूपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसमें से कॉलम संख्याँ–06 के अनुसार सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के अंतर्गत राशि की निकासी हेतु निम्नांकित कार्यालय प्रधान को (संलग्न पेंशनधारियों की सूची के अनुसार) उनके नाम के सामने अंकित पेंशनधारियों की संख्याँ के अनुरूप राशि उपावंटित किया जाता है–

क्र0	उपावंटन प्राप्त करनेवाले पदाधिकारी का पदनाम	पेंशनधारियों की संख्या			कुल भुगतेय राशि	दर
		मूल	आश्रित	कुल		
1	2	3	4	5	6	7
1	अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा।	03	06	09	3,60,000/–	मार्च,2015 से जूलाई,2015तक मो0–2000/– (दो हजार) रूपये की दर से एवं अगस्त,2015 से मो0–5000/– (पॉच हजार) की दर से अनुमान्य है।
2	अंचल अधिकारी, सिंहेश्वर।	05	08	13	5,20,000/–	
3	अंचल अधिकारी, कुमारखंड।	02	02	04	1,60,000/–	
4	अंचल अधिकारी, मुरलीगंज।	04	02	06	2,40,000/–	
5	अंचल अधिकारी, उदाकिशुनगंज।	03	06	09	3,60,000/–	
6	अंचल अधिकारी, चौसा।	01	04	05	2,00,000/–	
7	अंचल अधिकारी, आलमनगर।	शून्य	03	03	1,20,000/–	
	कुल –	18	31	49	19,60,000	

कुल–उन्नीस लाख साठ हजार रूपये मात्र।

(1) संलग्न विवरणी में आवंटित राशि निकासी उपरांत केन्द्रीय राजस्व से पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य के जीवित स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके आश्रितों को जीविता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् उचित पहचान के आधार पर पूर्व की भाँति भुगतान किया जाएगा।

(2) यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्याँ-2561 दिनांक-17/04/1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

(3) उपावंटित राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में ए०सी० विपत्र से नहीं किया जायेगा। आवश्यकतानुसार राशि की निकासी Fully Vouchered and Prereceipted Bill पर ही किया जायेगा, ताकि भविष्य में डी०सी० विपत्र जमा करने की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।

(4) उपर्युक्त राशि की निकासी हेतु विपत्र के साथ आवश्यक कागजातों को संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जानेवाले प्रमाण पत्र का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।

(5) आवंटित राशि के अतिरिक्त यदि अतिरिक्त राशि बकाया देय हेतु आवश्यक हो तो मांग-वत्र तीन दिनों के अंदर उपलध्ब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

(6) आवंटित राशि का व्यय के पश्वात् उपयोगिता प्रमाण पत्र/प्रत्यार्पण प्रतिवेदन दिनांक-25 मार्च,2016 तक जिला सामान्य शाखा,मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

इसकी सूचना सम्बंधित को दें।

ह0/-
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक-302/सा0,मधेपुरा दिनांक- 13 फरवरी,2015

प्रतिलिपि-अनुमंडल पदाधिकारी,मधेपुरा/अंचल अधिकारी, सिंहेश्वर/कुमारखंड/ मुरलीगंज/उदाकिशुनगंज/चौसा एवं/आलमनगर/ कोषागार पदाधिकारी,मधेपुरा को (आवंटनादेश पत्रांक-30 दिनांक-25/01/2016 सर्लग्न) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,मधेपुरा को सूचनार्थ। निदेश है कि इसे जिला के वेवसाईट एवं सम्बंधित को ईमेल करने करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- सरकार के प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-30 दिनांक-25/01/2016 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी
मधेपुरा